न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास बइजलास लहरीकुमार जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः--544 / 14

1. नन्दकिशोर पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर।
2. बाबूलाल पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सारोला तहसील कनवास।

(वादी)

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 12.112016

वादी ने उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीऐक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के खाते एंव कब्जे कास्त की आराजी ग्राम सारोला तहसील कनवास में खाता नम्बर 47 की खसरा नम्बर 69 की 1.30 है0, खसरा नंबर 70 की 0.02 है0, खसरा नंबर 73 की 0.01 है0, खसरा नम्बर 74 की 1.06 है0, आराजी स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी में रिज्यूम शब्द जुडा हुआ है। उक्त आराजी माफी की आराजी भी जिसमें जागीर उन्मूलन के समय ही माफी को हटा दिया गया था तथा वादीगण के पूर्वजों को ही पूर्ण खातेदार का दर्जा दे दिया गया था। किन्तु रिज्यूम शब्द आज भी रिकार्ड में खाते पर विधमान है, जिससे वादीगण को ऋृण लेने व अन्य कृषि विकास कार्यों को करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः माल ग्राम सारोला पटवार मण्डल पानाहेडा तहसील कनवास की खाता नंबर 47 की खसरा नम्बर 69 की 1.30 है0, खसरा नंबर 70 की 0.02 है0, खसरा नंबर 73 की 0.01 है0, खसरा नम्बर 74 की 1.06 है0 कुल किता 04 की 2.39 है0, आराजी में से खाते पर से रिज्यूम शब्द हटाने की इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त खाते में रिज्यूम शब्द पूर्व से दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। जो वादीगण हटाना चाहता है।

लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरण में हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। बहस के दोरान वकील वादी ने हमारा ध्यान प्रस्तुत उद्वरण आर आर डी 1985 पेज सं. 298--303 सरकार बनाम हरकलाल एंवम आर बी जे (13) 2006 पेज सं. 190--192 माननीय राजस्थान उच्च न्यायलाय जयपुर सरवन जीत बनाम सरकार व अन्य की और हमारा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

ध्यान आकर्षित कराया जिसमें माफी के 1.7.1963 के पुर्नग्रहण होने पर राज सरकार भूमिधारक के स्थान पर और विपक्षीगण को धारा 13 आरटीएक्ट तथा धारा 9 एंव 10 जागीर एक्ट के अनुसार सही दर्ज किया गया । एंव धारा 193 आर टी एक्ट 1955 पेश की । राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक/एफ.2(682)Rev./B/62 दिनांक 5/6/65 व दिनांक 11/3/66 व अधिसूचना दिनांक 10.5.66 से तथा आर.टी. एक्ट की धारा 193 अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफी चौकीदारी, माफी ग्राम बलाई आदि उसकी अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी सेवादार होने से खातेदार आसामी तो गया है। अतः लोक अदालत की भावना से पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्वरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वाद पत्र में अंकित आरजी माल ग्राम सारोला खाता संख्या 47 की खसरा नम्बर 69 की 1.30 है0, खसरा नंबर 70 की 0.02 है0, खसरा नंबर 73 की 0.01 है0, खसरा नम्बर 74 की 1.06 हैक्टर आराजी पर वादीगण के साथ अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि माल ग्राम सारोला पटवार मण्डल पानाहेडा की जमाबंदी सम्वत 2069--2072 के खाता संख्या 47 पर अंकित आराजी खसरा नंबर 69 की 1.30 है0, खसरा नंबर 70 की 0.02 है0, खसरा नंबर 73 की 0.01 है0, खसरा नम्बर 74 की 1.06 हेक्टर आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के नाम के साथ अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। तदानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरीकुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) राष्ट्रीय लोक अदालत दिंनाक 12.11.2016

1. नंदकिशोर पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सारोला तहसील कनवास।
2. बाबूलाल पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सारोला तहसील कनवास।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

दावा बाबत अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 544/14 सन 2014 तारीख फैसला 12.11.2016 न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी नंबर 1 व 2 मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्वंय मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है, कि ग्राम सारोला पटवार मण्डल पानाहेडा की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 47 पर अंकित आराजी खसरा नंबर 69 की 1.30 है0, खसरा नंबर 70 की 0.02 है0, खसरा नंबर 73 की 0.01 है0, खसरा नम्बर 74 की 1.06 हेक्टर आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के नाम के साथ अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2016 माह नवम्बर 2016 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	पया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ""	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा ""	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा ""			स्टाम्प अर्जी ""		
स्टाम्प वजह सबूत ""			महनताना वकील ""		
महनताना वकील ""			खर्चा गवाहान ""		
खर्चा गवाहान ""			फीस कमिश्नर ""		
फीस कमिश्नर ""			बाबत इजराय हुकमनामा ""		
बाबत इजराय हुकमनामा ""			मुतफर्रिक ""		
मुतफर्रिक ""					
मीजान ""			मीजान ""		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)